

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 06.09.2020

आदेश


विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2020 के द्वारा राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर को कोरोना वायरस (कोविड-19) के उपचार के लिए दिनांक 05.09.2020 से पूर्णतः समर्पित (Dedicated) अस्पताल घोषित किया गया है।

कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के समुचित उपचार हेतु राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर का प्रबन्धन व पर्यवेक्षण सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर की टीम के देखरेख में किया जावेगा।


(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. अधीक्षक एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
13. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
14. निजी /रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव